उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-4-ई.एम./90-का-4-2007
लखनऊ : दिनांक : 06 जुलाई, 2007

**कार्यालय ज्ञाप**

पुलिस विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत वाहन चालकों से भिन्न, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य समस्त विभागों में कार्यरत वाहन चालकों को प्रतिपूर्ति धनराशि (मानदेय) प्रदान करने विषयक समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 जनवरी, 1995, दिनांक 15 दिसम्बर, 2000 एवं दिनांक 17 जुलाई, 2001 के कम में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है:-

(1) पुलिस विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग से भिन्न अन्य समस्त विभागों के वाहन चालकों को भी, उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिपूर्ति धनराशि जिसमें मंहगाई भत्ता सम्मिलित नहीं है, तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य करायी जाय । वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-9(21)(1) में परिभाषित है ।

(2) उक्त सुविधा उन्हीं वाहन चालकों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है । उक्त प्रतिपूर्ति धनराशि 12 माह की सेवा के आधार पर संबंधित वर्ष की पहली मार्च में देय मूल वेतन के आधार पर भुगतान की जायेगी । वर्ष के मध्य में सेवामुक्त होने वाले वाहन चालकों को समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा अनुमन्य होगी । ऐसे वाहन चालक, जो वर्ष के दौरान किसी समय सेवा आरम्भ करते हैं, उन्हें भी समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा देय होगी ।

(3) उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष के अन्त में दिया जाने वाला मानदेय, इस सुविधा के उपरान्त देय नहीं होगा ।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के लेखाशीर्षक के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई, 01-वेतन के नामे डाला जायेगा ।

3. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-462 /दस-2007, दिनांक 05 जुलाई, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या-4-ई.एम./90(1)-का-4-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव